फर्द अहकाम

[illegible] बनाम [illegible]

/वर्ष 96/24 : /20

क आज्ञा कार्यवाही	आदेश विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
5/1/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15/1/24 को पेश हों।	
10/1/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 9/2/24 को पेश हों।	
3/2/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28/4/24 को पेश हों।	
28/4/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 5/4/24 को पेश हों।	
5/4/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23/5/24 को पेश हों।	
/5/24	पत्रावली पेश हुई। आ प्रार्थी [illegible] बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई [illegible] प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर [illegible] पुनः से [illegible] किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] से [illegible] दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:44:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 96/2022
निर्णय दिनांक : 23.05.2024

1. हनुमान सहाय पुरोहित पुत्र स्वर्गीय श्री राम सहाय पुरोहित आयु 86 वर्ष, जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम खटवाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार तहसील सांगानेर जयपुर।
2. मूलाराम पुत्र श्री रामनाथ आयु 50 वर्ष, जाति माली, निवासी ग्राम खटवाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत् सीमाज्ञान व पत्थरगढी

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 334 रकबा 1.3000 है० किस्म बारानी व खसरा नम्बर 346/1179 रकबा 0.0300 है० किस्म जाव प्रथम स्थित ग्राम खटवाडा हल्का पटवारी महापुरा भू.अ. निरीक्षक भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है। खसरा नम्बर 334 का सम्पूर्ण रकबा प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है तथा खसरा नम्बर 346/1179 की खातेदारी प्रार्थी व प्रार्थी के भाई कैलाश नारायण के नाम दर्ज है। जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 334 रकबा 1.3000 है० व खसरा नम्बर 346/1179 रकबा 0. 0300 है० भूमि वर्तमान में खाली पडी हुई है किसी प्रकार का कोई काश्त का कार्य नहीं किया गया है। प्रार्थी का पडौसी अप्रार्थी संख्या 2 आये दिन प्रार्थी की खातेदारी की भूमि की सीमा को तोडता रहता है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में अतिक्रमण कर कब्जा करने पर उतारू रहता है। अप्रार्थी संख्या 2 की इन बेजा हरकतों से परेशान होकर प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 के यहाँ सीमा ज्ञान का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और दिनांक 29.6. 2022 को अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी व अन्य मोतबिरान की उपस्थिति में सीमा ज्ञान किया गया जिसकी छाया प्रति प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है। दिनांक 29.6.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा सीमाज्ञान [illegible] तत्पश्चात् सीमा चिन्ह अंकित करने की कार्यवाही प्रारम्भ होने वाली थी जो अप्रार्थी संख्या 2 आग बबूला हो गया और कहने लगा कि मैं सीमा चिन्ह कायम नहीं करने दूंगा और मैं चाहू वहाँ से आ जा सकता हूँ सीमा चिन्हों को उखाड कर फेंक सकता हूँ इसलिये दिनांक 29.

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:44:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

6. 2022 को सीमा ज्ञान के पश्चात् अप्रार्थी संख्या 1 के कारकूनों ने सीमा चिन्ह कायम नहीं किये जिससे अप्रार्थी संख्या 2 के हौंसलें ओर बुलन्द हो गये और वह आये दिन प्रार्थना पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित खसरा नम्बरान् की भूमि की सीमाओं को तोडता रहता है। इसलिये अप्रार्थी संख्या 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे कि वह मौके की यथास्थिति बनाये रखे किसी प्रकार का दंगा फसाद नहीं करे। प्रार्थी को उसकी खातेदारी कृषि भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने दे इस हेतू अप्रार्थी संख्या 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह दौराने विचारण प्रार्थना पत्र के समय प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि की सीमाओं से छेडछाड नहीं करे न सीमाओं को तोडकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि में प्रवेश करे। अप्रार्थी संख्या 2 आपराधिक किस्म का व्यक्ति है जो आये दिन उपरोक्त कृषि भूमि की सीमाओं को तोडता रहता है जिससे आये दिन दंगा फसाद होता रहता है इसलिये पुलिस थाना सेज को भी निर्देश दिया जाये कि वह न्यायालय के निर्देशानुसार प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित खसरा नम्बरान् की भूमि में सीमा ज्ञान करवा कर सीमा चिन्ह कायम करावे साथ ही अप्रार्थी संख्या 2 को भी पाबन्द किया जावे कि वह मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैः—कि आराजी खसरा नम्बर 334 रकबा 1.3000 है० किस्म बारानी व खसरा नम्बर 346/1179 रकबा 0.0300 है० किस्म जाव प्रथम स्थित ग्राम खटवाडा हल्का पटवारी महापुरा भू.अ. निरीक्षक भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर का सीमाज्ञान व पत्थरगढी की जाये इस आशय के निर्देश अप्रार्थी संख्या 1 को जारी करने की कृपा करे।

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। दिनांक 05.04.2023 को पत्रावली पेश हुई, अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नही होने पर एकतरफा कार्यवाही की गई।

पत्रावली में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 334 रकबा 1.3000 है० किस्म बारानी व खसरा नम्बर 346/1179 रकबा 0.0300 है० किस्म जाव प्रथम स्थित ग्राम खटवाडा हल्का पटवारी महापुरा भू.अ. निरीक्षक भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर का सीमाज्ञान व पत्थरगढी की जाये इस आशय के निर्देश अप्रार्थी संख्या 1 को जारी करने की कृपा करें।

बहस उपस्थित अधिवक्तागण व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:44:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

सपठित धारा 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि यदि अन्य किसी दिगर न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थी की ग्राम ग्राम खटवाडा हल्का पटवारी महापुरा भू.अ. निरीक्षक भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 334 रकबा 1.3000 है० किस्म बारानी व खसरा नम्बर 346/1179 रकबा 0.0300 है० किस्म जाव प्रथम का नियमानुसार अप्रार्थी संख्या 2 को सूचित कर समस्त उभयपक्षकारान की उपस्थिति में नियमानुसार तहसीलदार सांगानेर की सीमाज्ञान मौका–फर्द रिपोर्ट दिनांक 29.06.2022 के अनुसार पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करें।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:44:37 IST
Reason: SelfAttested